14.36 hrs.

Title: Need to display separate identification mark for Vegetarian and non-vegetarian food packets.

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : सभाति महोदय, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण 20 दिसम्बर, 2001) में सा.का.नि. 908 (अ) क्रमांक पर अधिसूचना प्रकाशित कराई है जो शाकाहारी खाद्य पदार्थों से संबंधित है। इसी प्रकार भारत के राजपत्र (असाधारण 4 अप्रैल, 2001) में सा.का.नि. 245 (अ) अधिसूचना प्रकाशित कराई थी, जो मांसाहारी खाद्य को परिभाति करते हुए स्पट किया गया था किन्तु वह पदार्थ मांसाहारी खाद्य है। इस हेतु प्रत्येक पैकेज पर खाद्य पदार्थ के नाम के बिल्कुल नजदीक मुख्य प्रदर्शन पैनल पर वृत्त के व्यास से पुराने किनारे वाली बाह्य रेखा वाले वर्ग के भीतर एस वृत्त होगा जो भूरे रंग (बाउन आकार) का होगा।

इसी तरह शाकाहारी खाद्य पैकेज पर हरे रंग (ग्रीन आकार) से प्रतीक चिन्ह बनाया जाएगा। परन्तु अभी तक इसका पालन नहीं किया जा रहा है जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए।